



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 आश्विन , 1943 (श०)

संख्या-530 राँची, बुधवार,

20 अक्टूबर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

11 अगस्त, 2021

संख्या-3/पद०-01(ग)-01/2015 का.3905--संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची (अतिरिक्त प्रभार- विशेष कार्य पदाधिकारी, जैप०आई०टी०, राँची) के पद पर पदस्थापित **श्री राजकुमार गुप्ता**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 763/03, गृह जिला- राँची), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री गुप्ता अपने कार्यों के साथ विशेष कार्य पदाधिकारी, जैप०आई०टी०, राँची के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे ।

संख्या-3/पद०-01(ग)-01/2015 का.3906--संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची (अतिरिक्त प्रभार- संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त, झारखण्ड, राँची) के पद पर पदस्थापित **श्री दिलेश्वर महतो**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 768/03, गृह जिला- राँची), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-3/पद०-01(ग)-01/2015का.3907--अवर सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित **श्री राज महेश्वरम्**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 4/20, गृह जिला- देवघर), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री महेश्वरम् को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत गढ़वा अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

संख्या-3/पद०-01(ग)-01/2015 का.3908--प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिद्धौर, चतरा के पद पर पदस्थापित **श्रीमती पूनम कुजूर**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 124/20, गृह जिला- राँची), की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही (हजारीबाग) के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्रीमती कुजूर को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत बरही अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

संख्या-3/पद०-01(ग)-01/2015 का.3909--GAIL, राँची में सक्षम प्राधिकार **श्री प्रेम कुमार तिवारी**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 93/20, गृह जिला- राँची), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री तिवारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत धनबाद अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

संख्या-3/पद०-01(ग)-01/2015 का.3910--अवर सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित **श्री राम नारायण सिंह**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 29/20, गृह जिला- बेगुसराय), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका (गढ़वा) के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री सिंह को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत रंका अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

संख्या-3/पद०-01(ग)-01/2015 का.3911--कार्यपालक दण्डाधिकारी, गढ़वा के पद पर पदस्थापित **श्री चन्द्रजीत सिंह**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 487/20, गृह जिला- बोकारो) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे ।

संख्या-3/पद०-01(ग)-01/2015 का.3912--कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची सदर (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सेवा प्रदत्त) के पद पर पदस्थापित **श्री राकेश रंजन उराँव**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 608/20, गृह जिला- लोहरदगा) की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक सहायक निदेशक, डॉ० रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-3/पद०-01(ग)-01/2015 का.3913--अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा के पद पर पदस्थापित मो० जियाउल अंसारी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 32/20, गृह जिला- गोड्डा), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-3/पद०-01(ग)-01/2015 का.3914--अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही, हजारीबाग के पद पर अधिसूचित श्री अनिल कुमार यादव, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 2/20, गृह जिला- गोड्डा), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-3/पद०-01(ग)-01/2015 का.3915--अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद के पद पर पदस्थापित श्री सुरेन्द्र कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 100/20, गृह जिला- हजारीबाग), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या- 3/पद०-01(ग)-01/2015 का.3916--अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका (गढ़वा) के पद पर पदस्थापित श्री राजेश कुमार लिंडा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 744/03, गृह जिला- राँची), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

2. वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी अन्य का पदस्थापन हो गया है एवं उनका पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है, वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव ।
